756

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

....

क्रमांक:-प 2(77-63)जविप्रा/ई.सी./मिटिंग/97/डी-73 दिनांक:-5.3.1997

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 63वीं बैठक दिनांक 3.3.1997 का कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण के क्रमांक प-2(77-63)जविप्रा/मिटिंग/96/53 दिनांक 20.2.97 के अन्तर्गत जारी सूचना पत्र के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 63वीं बैठक दिनांक 3.3.97 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में प्राधिकरण के समिति कक्ष में आहूत की गई । बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण संलग्न परिशिष्ठ 'क' पर अंकित है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने पर आसन की अनुमति से कार्यकारी समिति में जिला कलक्टर,जयपुर के रूप में पहली बार भाग ले रहे माननीय सदस्य श्री विनोद जुत्शी एवं विशेष रूप से आमन्त्रित अतिरिक्त आयुक्त(भूमि एवं परियोजनाएं) श्री ओ0पी0सारण जिनका पद सृजन के रूप में भी समिति की गत बैठक 62.3 की अनुपालना में आवश्यक प्रशासनिक आदेश जारी किये गये है के तदनुसार उपस्थिति अवसर पर समिति द्वारा इनका स्वागत करते हुए हर्ष व्यक्त किया गया।

बैठक में विचार-विमर्श के सन्दर्भ में एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नांकित विवरणानुसार निर्णय लिये गये:-

प्रस्ताव 63.1 कार्यकारी समिति की 62वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

परित प्रस्ताव 63.1 बैठक में गत 62वीं बैठक दिनांक 14.11.96 की कार्यवाही का विवरण परिशिष्ठ-1 के विवरणानुसार अवलोकन किया जाकर अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव 63.2 कार्यकारी समिति की 62वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।

पारित प्रस्ताव 63.2 बैठक में कार्यकारी समिति की 62वीं बैठक की क्रियान्विति रिपोर्ट जो कि परिशिष्ठ-2 पर रखी गयी है का बिन्दुवार अवलोकन करते हुये निम्नांकित निर्देश भी प्रदान किये गये:

(क)एजेण्डा आईटम नं. 62.2 जो कि कार्यकारी समिति की 61वीं बैठक दिनांक 2.9.96 के 61.4 के उप बिन्दु 2 में अंकित इस विषय पर था 'पूर्व में निरस्तारित प्रकरणों में निर्दिष्ट प्रावधानों की अनदेखी के फलस्वरूप प्राधिकरण को हानि के सम्बन्ध में प्रशासनिक दृष्टि से परीक्षण भी करवा लिया जावे'की वास्तविक एवं अन्तिम अनुपालना समिति की अगली बैठक से पूर्व हर हालत में सम्पादित की जाकर प्रगति से अगली बैठक में अवलोकन करवाया जावेगा

निरन्तर पृष्ठ......2

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(ख) गत बैठक 62.4(6) चित्रकूट आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड की राशि जमा कराने बाबत की नवीनतम स्थिति के सम्बन्ध में जयपुर विकास आयुक्त महोदय द्वारा बैठक में समुचित मार्गदर्शन किया गया।

प्रस्ताव 63.3 दिनांक 20.7.88 से 31.3.92 तक सहायकों के 2 छाया पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव 63.3 कार्यवाही विवरण एवं इससे सम्बन्धित संलग्न परिशिष्ठों का अवलोकन कर सर्वश्री देवीसिंह एवं राम सिंह को सहायक के पदों पर प्राधिकरण की आज्ञा क्रमांक प-7(3)जविप्रा/संस्था दिनांक 29.3.96 के अन्तर्गत दी गई पदोन्नति बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 20.7.88 से 31.3.92 तक सहायक के दो छाया पद सृजित किये जाने एवं इन दोनों सहायकों को काल्पनिक (नोशनल) वेतन निर्धारित किये जाने हेतु वांछित स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव 63.4 सुपरवाईजर आटोमोबाईल का पद जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी भर्ती एवं सामान्य विनियम,1984 के संलग्न अनुसूची 8 सामान्य संवर्ग(ग) यांत्रिकी संवर्ग में सम्मिलित करने हेतु।

पारित प्रस्ताव 63.4 बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा विवरण एवं उल्लिखित विवरण सूचनाओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण विनियम अर्थात् जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी भर्ती एवं सामान्य शर्ते विनियम,1984 के संलग्न अनुसूची संख्या 8 सामान्य संवर्ग(ग) यांत्रिकी संवर्ग में (ट्रेक्टर सुपरवाईजर' के पद को 'सुपरवाईजर आटोमोबाईल'में परिवर्तन हेतु यान्त्रिकी संवर्ग में (1) के पश्चात् 1-(क) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई:-

1	2	3	4	5	6	7	8
1-(क)	सुपर-वाईजर आटो-मोबाईल	100प्रतिशत पदोन्नति द्वारा		8वीं पास तथा चालक के रूप में5वर्ष की सेवा अथवा साक्षर के लिये10वर्ष की सेवा	वरिष्ठता एवं योग्यता	चालक	-

परिणामस्वरूप उक्त स्वीकृति प्रतिस्थापन 'प्राधिकरण' की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाकर आवश्यक विनियम संशोधन भी करवा लिये जाने का निर्देश प्रदान किया गया।

प्रस्ताव 63.5 सर्वश्री अरविन्द आर्य,वी0एस0मूण्डा,जोनल अभियन्ताओं को पोस्ट ग्रेज्यूएट कोर्स पार्ट टाईम स्ट्रक्चरल इंजिनियरिंग इन कम्प्यूटर एडेड डिजाईनिंग एम0ई0 कोर्स के अग्रिम अध्ययन हेतु निर्धारित शुल्क के भुगतान के सम्बन्ध में।

निरन्तर पृष्ठ.......3

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

.5 कार्यवाही विवरण में अंकित ब्यौरा और प्रासंगिक विषय पर अतिरिक्त'पूरक सामग्री' संसलग्न अधिकृत आदेश राजस्थान आवासन मण्डल क्रमांक 84 दिनांक 9.9.96 (छाया प्रतिलिपि) का अवलोकन करने के उपरान्त सर्वश्री अरविन्द आर्य एवं वी0एस0सूण्डा प्राधिकरण के जोनल अभियन्ताओं को पोस्ट ग्रेज्यूएट कोर्स पार्ट टाईम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इन कम्प्यूटर एडेड डिजाईनिंग एम0ई0 कोर्स में सम्मिलित होने के प्रयोजनार्थ अध्ययन हेतु प्रत्येक के लिए निर्धारित राशि रूपये 37,000.00 यानी कुल रूपये 74,000/00 की राशि का भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी। भविष्य में इस तरह के समानान्तर मामलों में इसी आशय के नीति निर्देश का प्रस्ताव भी प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

पूरक एजेण्डा के अनुसार अतिरिक्त विषय विवरण:-

....

अतिरिक्त एजेण्डा आईटम नं. 63.6(1)

प्रस्ताव 63.6(1) साख्यिकी सहायक के पद को साख्यिकी अधिकारी के पद में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव 63.6(1) बैठक में इस विषय पर विस्तार से और सन्दर्भित सूचना एवं परिशिष्टों पर विचार किया जाकर जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम 1984 में साख्यिकी सहायक के पद से आगामी पदोन्नति प्रावधान देकर इस प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति के समुचित अवसर सुलभ कराने के प्रयोजनार्थ वेतन श्रृंखला 1640-2900 कार्यालय अधीक्षक के समकक्ष 'सहायक साख्यिकी अधिकारी' का एक पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही इस क्रमोन्नत पद 'साख्यिकी सहायक अधिकारी' के लिए यह स्पष्ट किया गया कि इसे यथा सम्भव कार्यालय अधीक्षक के विद्यमान स्वीकृत पदों में से कोई पद रिक्त होने पर अमल में लिया जावे किन्तु यह भी ध्यान में रखते हुए कि कार्यालय अधीक्षक के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत होने वाले वरिष्ठ सहायकों की पदोन्नति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े समिति द्वारा यहीं निर्णय लिया गया कि अब एक और क्रमोन्नत पद इसी वेतन श्रृंखला 13(1640-2900) में 'सहायक साख्यिकी अधिकारी' का स्वीकृत कर दिया जावे। इस प्रयोजनार्थ मामला उचित प्रस्ताव के रूप में 'प्राधिकरण' की आगामी बैठक में भी विनियम संशोधन करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

जयपुर विकास आयुक्त महोदय ने इस विषय निर्णय प्रयोजनार्थ विचार-विमर्श के दौरान कुछ समय पूर्व प्राधिकरण के सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत पदोन्नति अवसर अभ्यावेदन जो कि वर्तमान में विचाराधीन है के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध कराने पर पदोन्नति के समानान्तर उच्च पद पर एकरूपता सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से समिति का यह निर्देश हुआ कि प्राधिकरण के सहायक आयुक्त स्केल नं. 19(3000-4500) को उपायुक्त स्केल नं. 23(3700 से 5000) में पद परिवर्तन करने का प्रकरण प्रशासनिक पत्रावली पर परीक्षण किया जाकर प्रकरण कार्यकारी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

निरन्तर पृष्ठ....4

प्रस्ताव 63.6)2) जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें)विनियम,1984 के संलग्न

पारित प्रस्ताव 63.6(2) अनुसूची संख्या 8 के क्रम संख्या 4 आशुलिपिक ग्रेड II के कॉलम 3 भर्ती के तरीके में संशोधन के सम्बन्ध में।

उक्त विषय पर प्रस्तुत विवरण सूचना एवं संलग्न परिशिष्ठ 11,12,13 एवं 14 में अंकित सूचना पर विस्तार से विचार विमर्श किये जाने के पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण (भर्ती एवं सामान्य शर्तें)विनियम,1984 के संलग्न अनुसूची संख्या 8 के क्रम संख्या 4 आशुलिपिक ग्रेड-II के लिए विनियमों में अन्य प्रविष्टियाँ यथावत रखते हुए कॉलम संख्या 3 व 5 में प्रस्तावानुसार संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।इसका विवरण निम्नांकित होगाः-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(क)	आशुलिपिक (अंग्रेजी)	50/सीधी भर्ती	-	प्राधिकरण के कनिष्ठ सहायक/ सहायक/भाषा विभाग/आई. टी.आई./एच.सी.एम.स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से प्राप्त डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण हो।			
(ख)	आशुलिपिक (हिन्दी)	50/पदोन्नति द्वारा					

इस सम्बन्ध में अनौपचारिक स्वीकृति हेतु मामला'प्राधिकरण' की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा।

प्रस्ताव 63.6(3) जयपुर विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 1995-96 के सम्बन्ध में अन्तिम लेखा विवरण।

पारित प्रस्ताव 63.6(3) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 63(1) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए संलग्न विवरणानुसार प्रस्तुत अन्तिम सूचना विवरण (फाईनल एकाउण्ट्स) का समिति द्वारा अवलोकन किया गया।

अन्य विषय/विचार बिन्दुः- (अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार)

(1) माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से समिति के अवलोकनार्थ प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ की गयी निम्नांकित योजनाओं के सम्बन्ध में मुद्रित सामग्री वितरित करते हुये जयपुर विकास आयुक्त महोदय द्वारा इस सन्दर्भ से विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान करते हुए यह भी उल्लेख किया कि इन योजनाओं में कुशल उत्कृष्ट वित्तीय प्रबन्धन के साथ साथ गुणात्मक तकनीकी आपेक्षों को सुनिश्चित करने हेतु भी प्रभावी कदम उठाये गये हैः-

(1)ट्रांसपोर्ट नगर योजना
(2)उप नगरीय आवासीय योजना
(3)करधनी आवासीय योजना (तृतीय चरण)
(4)विद्याधर नगर 'निलयम' आवासीय योजना

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

निरन्तर.....5

700

(2) जयपुर विकास आयुक्त महोदय ने बैठक में यह भी निर्देश प्रदान किये कि आगामी वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले बजट एवं वित्तीय लेखा विवरण की कार्यवाही किये जाने में यथोचित वित्तीय प्रावधान /प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

(3) जयपुर विकास आयुक्त महोदय ने जिला कलक्टर,जयपुर से विचार विमर्श करते हुये यह मार्गदर्शन भी प्रदान किया कि प्राधिकरण परिक्षेत्र में आने वाले राजस्व गॉव (अधिसूचित राजस्व गॉव) में जनपयोगी सुविधायें यथा विद्यालय,शमशान,चौपाल,खेल के मैदान गली,नाली आदि के प्रयोजनार्थ विकास कार्यो हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समुचित प्रस्तावों पर अभिष्ट वित्तीय राशि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवायी जा सकेगी। साथ ही कच्ची बस्ती क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी योजनाओं हेतु भी इसी प्रकार जिला कलक्टर,जयपुर के प्रस्तावों के आधार पर पूर्व में लिये गये निर्णयों के अनुसार समुचित वित्तीय प्रावधान रखा हुआ है/रखा जावेगा।

तत्पश्चात् बैठक में कोई अन्य बिन्दु विचारार्थ अवशेष नहीं होने पर आसन को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया।

(नरहरी शर्मा)
सचिव

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

761

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 63वीं बैठक दिनांक 03.03.1997 में उपस्थित माननीय सदस्यों की सूची:-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्री वी. एस. सिंह	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2.	श्री विनोद जुत्शी	जिला कलक्टर, जयपुर।
3.	श्री मन्मथ कुमार	शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर। (प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, के अधिकृत प्रतिनिधि)
4.	श्री नरहरी शर्मा	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5.	श्री आर. सी. भण्डारी	निदेशक (अभि.), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6.	श्रीमती सुनीता अजमेरा	निदेशक (वित्त), जविप्रा, जयपुर।
7.	श्री वी. के. सोरल	निदेशक (टी.पी.), जविप्रा, जयपुर।
8.	श्री सुनील माथुर	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर (शहर) (अधीक्षक आरक्षी पुलिस (शहर) के अधिकृत प्रतिनिधि)
9.	श्री एम. एल. सैनी	अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय), राज0रा0वि0 मण्डल, जयपुर। (मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अधिकृत प्रतिनिधि)
10.	श्री एन.एस. राठौर	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, जयपुर। (मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, के अधिकृत प्रतिनिधि)
11.	श्री एस.एस. मेहरोत्रा	अधीक्षण अभियन्ता आर0 टी0 डी0 सी0, (प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पर्यटन निगम, के अधिकृत प्रतिनिधि)

विशेष आमंत्रित अधिकारी:-

1.	श्री ओ0 पी0 सहारण	अतिरिक्त आयुक्त (भू0 एवं योज0), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2.	श्रीमती छाया भटनागर	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
3.	श्री नवल किशोर शर्मा	अतिरिक्त आयुक्त (समन्वय), जविप्रा, जयपुर।

(सचिव ज.वि.प्रा.)